न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 105/2013 — दायर दिनांक: 06.09.2013

उनवान

1. मांगीलाल पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. नारायण पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. राघूजी पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

वकील वादी – श्री रामनाथ सिंह

प्रतिवादी सं. 1 – श्री प्रेमचन्द चौधरी

निर्णय — **दिनांक : 23.05.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. कृषि भूमि का इस न्यायालय के आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2025 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के तहसीलदार सुनेल को आदेश दिये गयं। उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2025 की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कंमांक/राजस्व/2025/280 दिनांक 03.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मध्य निम्न प्रकार ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है :–

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है0	दिशा
1	सिरपोई खाता संख्या 498	नारायण, मांगीलाल पिस. भंवरलाल जाति कुल्मी नि0 सिरपोई रहन एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड	23 25 544	1.1509 0.1897 0.1096	दक्षिण पश्चिम
			किता 3	1.4502	
2	सिरपोई खाता संख्या 498	राघू पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई	23 544	0.6702 0.0548	उत्तर पूर्व
			किता 2	0.7250	

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 105/2013 दायर दिनांक: 06.09.2013

उनवान

1. मांगीलाल पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. नारायण पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल

– **वादीगण**

बनाम

1. राघूजी पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक –

वकील वादी – श्री रामनाथ सिंह

प्रतिवादी सं. 1 – श्री प्रेमचन्द चौधरी

मिनजानित मुदई रूबरू ....X................मिनजाबिन मुदालयह हुक्म व डिक्री दी जाती है कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है :–

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	दिशा
1	सिरपोई खाता संख्या 498	नारायण, मांगीलाल पिस. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई रहन एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड	23[illegible] 2[illegible] 544	1.[illegible]9 [illegible] [illegible]096	दक्षिण पश्चिम
			किता 3	[illegible].4502	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2	सिरपोई खाता संख्या 498	राघू पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई	23 544	0.6702 0.0548	उत्तर पूर्व
			किता 2	0.7250	

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला-झालावाड़ राज0

निज .....X..... मुबालिक.....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.05.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला-झालावाड़ (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला-झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला-झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 105/2013 दायर दिनांकः 06.09.2013

उनवान

1. मांगीलाल पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. नारायण पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. राघूजी पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

वकील वादी — श्री रामनाथ सिंह

प्रतिवादी सं. 1 — श्री प्रेमचन्द चौधरी

निर्णय दिनांक : **28.02.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण एव प्रतिवादी नम्बर 1 के शामलाती खाते में ग्राम सिरपोई पटवार क्षेत्र सिरपोई भू—अभिलेख क्षेत्र सेमला तहसील पिडावा जिला झालावाड में जमाबन्दी खेवट (खतोनी) संख्यां नया 411 पुराना 390 के खसरा नम्बर 23 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा माल दोयम, खसरा नम्बर 25 रकबा 0—15 बिस्वा बीड दोयम, खसरा नम्बर 544 रकबा 0—13 बिस्वा वाही दोयम कुल किता 3 कुल रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है जिसमें प्रत्येक वादीगण एव प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3, 1/3 हिस्सा है। सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी गॉव सिरपोई सम्वत् 2066—2069 तक की संलग्न है। यह कि वादीगण के पिता भँवरलाल जी के चार लडके थै सबसे बडा वादी नम्बर 1 मॉगीलाल दुसरा प्रतिवादी नम्बर 1 राधू तीसरा जगन्नाथ जिसकी करीब 30 वर्ष पूर्व [illegible] हो चुकी है, चौथा वादी नम्बर 2 नारायण है। [illegible] पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं [illegible] / 3 हिस्सा है। यह कि वादीगण ने अपने अपने हिस्से की [illegible]जी पर सहकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

समिति बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिये आवेदन किया तो उक्त आराजी सामलाती होने के कारण वादीगण के हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर प्रतिवादी नम्बर 1 ने आपत्ति दर्ज करायी की उक्त आराजी पर वादीगण को ऋण नहीं दिया जावे इस पर वादीगण का किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा रोक दिया गया इसलिये वादीगण अपने हिस्से को अलग खाते दर्ज कराने की लिये यह वाद पेंश करना पड रहा है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त आराजीयात का कानून सम्मत विभाजन कराने बाबत् वादीगण ने दिनांक 28.08. 2013 को निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 कानून सम्मत बटवारा कराने हैतु इन्कार हो गया जिस कारण वादीगण के पक्ष में वाद हैतुक उत्पन्न हुआ। यह कि विभाजन आराजीयात के वाद में लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जर्ये त्तहसीलदार महोदय तहसील पिडावा होने के कारण आवशयक पक्षकार बनाया गया है जिन्हे इस वाद में प्रतिवादी नम्बर 2 बनाया गया है। यह कि दावा अनदर मियाद पेश है। यह कि दावा उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में पेश है। यह कि दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः दावा पेश कर वादीगण निवेदन करते है कि वादीगण के पक्ष में वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी के कानून सम्वत् विभाजन अच्छी से अच्छी एंव बुरी से बुरी आराजी का किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 1/3 हिस्सा अलग किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय व डिकी सादिर फरमायी जावे एंवम निर्णय एव डिकी अनुसार मोके पर माप कर वास्तविक कब्जा वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 से दिलाया जावे। अन्य जो भी सहायता नजदीक अदालत बहक वादीगण पाने के पात्र हो न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाद की मद न० 01 आशिकं रूप से स्वीकार है। यह कि दावे की मद न0 02 अस्वीकार है। यह कि मद न0 03 अस्वीकार है। यह कि मद न0 04 अस्वीकार है। यह कि मद न0 05 कानूनी है। यह कि मद न0 06 कानूनी है। यह कि मद न0 07 कानूनी है। यह कि मद न0 08 कानूनी है। अतः दावे की प्रार्थना अस्वीकार कर दावा मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

हर्जा खर्जा खारिज किये जाने योग्य है। काउन्टर दावा – यह कि विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होकर शामलाती खाते की आराजी प्रतिवादी सख्या 01 के कब्जे काश्त की आराजी होकर शान्ती पुवर्क खाता सख्या नया 441 पुराना 390 कुल रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा आराजी मे से 2ध्3 हिस्से पर अर्थात 6 बीघा 03 बिस्वा लगभग पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हूँ। यह कि प्रतिवादी सख्या 01 ने अपने सगे भाई जो दावे की मद न0–01 मे वणिर्त है के भाई मांगी लाल का हिस्सा प्रतिवारदी सख्या 01 ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर रखा है। यह प्रतिवादी सख्या 01 ने ही खरीद कर विवादित आराजी अपने कब्जे मे काश्त कर रहा है। यह कि मांगी लाल के हिस्सा काअधिकार भी प्रतिवादी सख्या 01 राधू का ही बनता है इसलिये दावे का काउन्टर दावा स्वीकार किया जाकर डिकी किये जाने की कृपा करे।

3. वादीगण द्वारा काउन्टर वाद का जवाब पेश कर निवेदन किया कि काउन्टर वाद की मद नं. 1 अस्वीकार है। काउन्टर वाद की मद नं. 1 अस्वीकार है। काउन्टर वाद की मद नं. 2 अस्वीकार है। काउन्टर वाद की मद नं. 3 अस्वीकार है। काउन्टर वाद की मद नं. 4 अस्वीकार है। अतः काउन्टर वाद मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सिरपोई के खाता सं. 411 जमाबंदी सं. 2066–69 पेश की।

5. प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से निम्नानुसार तनकियांत कायम की गई –

तनकी नं. 1 – आया कि ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी हाल खाता सं. 498 मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा 1/3–1/3 के किर्डेड सहखातेदार दर्ज होने से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर खाता विभाजन कराने के पात्र है।

तनकी नं. 2 – आया कि वादग्रस्त भूमि मे से वादीगण को मांगीलाल के हिस्से 1/3 को प्रतिवाद सं. 1 द्वारा खरीद कर की प्राप्त करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०।

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजी में से 2/3 भाग प्रतिवादी के पक्ष में दर्ज कर खाता विभाजन कराने के योग्य है।

6. अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी सहमति से साक्ष्य पेश नहीं कर सीधी बहस का निवेदन किया जिससे तनकीवार विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष ने बहस करते हुए एकमत होकर कथन किया कि ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है जिसमें वादी सं. 1 का हिस्सा 1/3, वादी सं. 2 का 1/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है।

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा एकमत होकर आगे तर्क किया कि ग्राम सिरपोई की उक्त वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य मौखिक पारिवारिक सहमति अनुसार वर्षो से मौके पर बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त चले आ रहे है। सभी सहखातेदारान समय समय पर अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का भू सुधार व विकास करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने की वजह से उभयपक्ष को अपने हिस्से की बेहतर भूमि सुधार करने, कृषि ऋण लेने, सीमाज्ञान कराने, तार–बाउन्ड्री कराने में आदि में काफी परेशानी हो रही है इसलिए उभयपक्षकारान अपने अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कराकर पृथक पृथक खाते दर्ज कराना चाहते है। धारा 53 आर.टी.एक्ट के अधीन उभयपक्षकारान अपनी भूमि का खाता विभाजन करने की पात्रता रखते है। अभिभाषकगण उभयपक्ष ने पुनः तर्क किया कि वादीगण के हिस्से की आराजी को रहन दर्ज कर कृषि ऋण प्रदान किया है। अतः वादीगण के हिस्से की भूमि पर बैंक के पक्ष में रहन का आदेश यथावत रखते हुए ही खाता विभाजन किया जावे।

8. हमने उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर गौर किया। उभयपक्ष द्वारा पेश ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. की जमाबंदी सं. 2074–7[illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती भूमि है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3–1/3 एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड है। मुताबिक आदेशिका दिनांक 28.02.2025 एवं राहमति बहस उभयपक्ष के अनुसार ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य मौखिक पारिवारिक राहमति अनुसार वर्षो से मौके पर बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त चले आ रहे है। सभी सहखातेदारान समय समय पर अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का भू सुधार व विकास करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने की वजह से उभयपक्ष को अपने हिस्से की बेहतर भूमि सुधार करने, कृषि ऋण लेने, सीमाज्ञान कराने, तार–बाउन्ड्री कराने में आदि में काफी परेशानी हो रही है इसलिए उभयपक्षकारान अपने अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कराकर पृथक पृथक खाते दर्ज कराना चाहते है।

9. रिकार्डेड सहखातेदार कृषकों के मध्य कृषि आराजी के खाता विभाजन के प्रावधान धारा 53 आरटीएक्ट में उपलब्ध है। प्रत्येक सहखातेदार को भूमि सुधार एवं अन्य कार्यो हेतु शामलाती खाते में अपने हिस्से की कृषि जोत का खाता विभाजन कराने का हक व अधिकार है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि शामलाती आराजी के प्रत्येक सहखातेदार को धारा 53 आरटीएक्ट के अधीन अपने हिस्ससे की आराजी का खाता विभाजन कराकर पृथक से खाते दर्ज कराने का अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदारी की आराजी के विभाजन के लिए धारा 53(2) का अवलोकन जरूरी है जो निम्न प्रकार है–

A division of holding shall be effected in the following manner- 53 (2) (ii)- by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided.

10. धारा 53(2) आरटीएक्ट के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को शामलाती खाते में अपने हिस्से की कृषि जोत का भूमि सुधार एवं अन्य कार्यो हेतु खाता विभाजन कराने का हक व अधिकार है। धारा 53(2)(ii) RTA के अधीन न्यायालय के आदेश/डिक्री से खाता/कृषि जोत का विभाजन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकिया राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में दी गई है।

11. वर्तमान समय में कृषि आराजी पहुंच हेतु रिकार्डेड रास्ते की उपलब्धता एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। कृषि आराजी तक पहुंच हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से खातेदार को कृषि उपकरणों को लाने ले जाने की समस्या का भी सामना करना पड रहा है और परिणामतः रास्ते को लेकर पारिवारिक एवं भूमि विवाद बढते जा रहे है। अतः कृषि आराजी के सहखातेदारों के मध्य खाता विभाजन करते समय रास्ते को ध्यान में रखना अतिआवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संशोधन कर धारा 251 ए को जोडने के पिछे राज्य विधायिका की मूल मंशा भी रास्ते के विवादों को दूर करना रही है। यद्यपि हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा खाता विभाजन के दौरान रास्ते का अनुतोष नहीं चाहा है तथापि धारा 209 आर.टी.एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादीगण व प्रतिवादी को पहूँच हेतु 10 फीट चौडा रास्ता **यदि सभी सहखातेदार आवश्यक समझते है तो** दिया जाना न्यायोचित है। रास्ते की भूमि का रकबा, यदि आवश्यक हो, सभी सहखातेदारो की आराजी से रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुपात में कम की जावेगी। **अतः हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय सभी सहखातेदारो के लिये रास्ते की उपलब्धतता सुनिश्चित करना न्यायोचित होगा।**

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी के मध्य रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीएक्ट न्यायाहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी के मध्य रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त के आधार पर खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अधीन **यदि आवश्यक हो तो उभयपक्ष की सहमति होने पर** 10 फीट चौडा रास्ता प्रदान करते हुए मौके पर कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर खाता विभाजन का प्रस्ताव मय खसरा नक्शा तैयार कर पेश करें। पक्षकारान का बैंक ऋण यथावत रखा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 105/2013 दायर दिनांकः 06.09.2013

उनवान

1. मांगीलाल पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. नारायण पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. राघूजी पि. भंवरलाल जाति कुल्मी नि. सिरपोई तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —
वकील वादी — श्री रामनाथ सिंह
प्रतिवादी सं. 1 — श्री प्रेमचन्द चौधरी

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....मिनजाबिन मुदालयह हुक्म व डिक्री दी जाती है कि ग्राम सिरपोई की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 498 किता 3 रकबा 2.1782 है. कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी के मध्य रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अधीन **यदि आवश्यक हो तो उभयपक्ष की सहमति होने पर** 10 फीट चौडा रास्ता प्रदान करते हुए मौके पर कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर खाता विभाजन का प्रस्ताव मय खसरा नक्शा तैयार कर पेश करें। पक्षकारान का बैंक ऋण यथावत रखा जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 13:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.02.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner